भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : *428
उत्तर देने की तारीख : 25.03.2021

अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं/नीतियां

***428. श्री धर्मेन्द्र कश्यपः**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अल्पसंख्यकों के हितों को पूरा करने के लिए वर्ष 2018 के उपरान्त बनाई गई/आरंभ की गई योजनाओं/नीतियों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा प्रत्येक योजना के लिए उक्त अवधि के दौरान आबंटित धनराशि तथा उसके उपयोग का राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

''अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं/नीतियां'' के बारे में श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा पूछे गए एवं 25.03.2021 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *428 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): 2018 में एक प्रमुख नीतिगत फैसले में, सरकार ने हज 2018 से मुस्लिम महिलाओं को 'मेहरम' (पुरुष साथी) के बिना हज यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी है।

मई 2018 में, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जिसका उद्देश्य अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों (एमसीए) में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लाभ के लिए सामाजिक–आर्थिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं विकसित करना था। पीएमजेवीके का कवरेज देश के पूर्ववर्ती 196 जिलों से अब 308 जिलों में आने वाले 1300 एमसीए में बढ़ाया गया है जिसमें 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, 321 अल्पसंख्यक बहुल नगर और 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालय शामिल है।

देश भर से अल्पसंख्यक दस्तकारों और पाक कला विशेषज्ञों को अपने बेहतरीन हस्त उत्पादों और उत्कृष्ट रूप से तैयार उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक प्रभावी प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाट आयोजित करता है। 2018 से कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करते हुए 23 हुनर हाट आयोजित किए गए हैं। इनकी शुरूआत से हुनर हाट ने 5.5 लाख कारीगरों/दस्तकारों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए है।

इसके अलावा सरकार देश भर में अल्पसंख्यकों सहित समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और दबे–कुचले वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान), प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, आदि।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भी केन्द्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों नामतः ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और मुस्लिम समुदाय के सामाजिक–आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए भी कार्यक्रम/योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये योजनाएं/कार्यक्रम संक्षेप में निम्नलिखित अनुसार हैं।

शैक्षणिक सशक्तीकरण की योजनाएं:

(1) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना – प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए।

(2) मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना – वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना।

(3) नया सवेरा – निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना – इस योजना का उद्देश्य तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्हता के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों/अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है।

(4) 'पढ़ो परदेश' – विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता की योजना।

(5) नई उड़ान – यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सहायता।

आर्थिक सशक्तीकरण/रोजगार उन्मुख योजनाएं:

(6) सीखो और कमाओ – 14–35 वर्ष के बीच की आयु वाले युवाओं के कौशल विकास की योजना तथा मौजूदा कामगारों, स्कूल ड्रापआउट्स आदि की रोजगारपरकता में सुधार करना।

(7) नई मंजिल – स्कूल ड्रापआउट्स की औपचारिक स्कूली शिक्षा एवं कौशल प्रदान करने की योजना।

(8) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण);

सशक्तीकरण हेतु विशेष पहल:

(9) नई रोशनी – अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना।

(10) जियो पारसी – भारत में पारसियों की आबादी की गिरावट को रोकने हेतु योजना।

(11) हमारी धरोहर – भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के अधीन भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने की योजना।

क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

(12) प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) पूर्ववर्ती बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) – शिक्षा, कौशल एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अभिज्ञात अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में समाज के सभी वर्गों के लोगों के लाभ के लिए कार्यान्वित।

संस्थानों को सहायता:

(13) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) शिक्षा एवं कौशल से संबंधित योजनाएं निम्नलिखित अनुसार कार्यान्वित करता है:– (क) अल्पसंख्यकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति। (ख) युवाओं को नौकरी उन्मुख अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण देने हेतु गरीब नवाज रोजगार योजना 2017–18 में शुरू की गई। (ग) मदरसा छात्रों और स्कूल ड्रापआऊट्स के लिए ब्रिज कोर्स।

(14) अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार एवं आय सृजक क्रियाकलापों के लिए रियायती ऋण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी।

उपर्युक्त के अलावा, मंत्रालय राज्य वक्फ बोर्डों को मजबूत करने के लिए योजनाओं को भी लागू करता है और वार्षिक हज यात्रा की व्यवस्थाओं का समन्वय करता है।

उपर्युक्त योजनाओं (क्रम सं. 1 से 12) का विवरण और उनके कार्यान्वयन की स्थिति इस मंत्रालय की वेबसाइट (www.minorityaffairs.gov.in) और क्रम सं. (13) और (14) पर उल्लिखित योजना के संबंध में ब्यौरे क्रमशः एमएईएफ की वेबसाइट (www.maef.nic.in) और एनएमडीएफसी की वेबसाइट (www.nmdfc.org) पर उपलब्ध हैं।

2014 के बाद, सरकार ने सभी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए निम्नलिखित नई पहलें की हैं।

(i) नई–मंजिलः नई मंजिल योजना 8 अगस्त, 2015 को पटना, बिहार में शुरू की गई थी और वर्ष 2016–17 में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को लाभान्वित करना है, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है, अर्थात जो स्कूल ड्रापआऊट्स की श्रेणी में हैं या मदरसों और अन्य जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, उन्हें औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हुए बेहतर रोजगार और आजीविका को प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया है।

(ii) हमारी धरोहर जो एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए बनाई गई है। योजना के उद्देश्यों में भारतीय संस्कृति की समग्र संकल्पना के तहत अल्पसंख्यकों की समृद्ध विरासत की क्यूरेटिंग, प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग, साहित्य/दस्तावेजों आदि का संरक्षण, सुलेख आदि का सहायता और संवर्धन तथा अनुसंधान एवं विकास करना है।

(iii) उस्ताद (विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण) औपचारिक रूप से 14 मई, 2015 को वाराणसी (यू.पी.) में शुरू की गई थी।

योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों और कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना और उनके पारंपरिक कौशल का उन्नयन करना है; अल्पसंख्यकों की अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन; पारंपरिक कौशल के मानक स्थापित करना; मास्टर शिल्पकारों के माध्यम से विभिन्न अभिज्ञात पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवाओं का प्रशिक्षण; राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार संबंध विकसित करना; और मंद पड़ रही कलाओं/शिल्पों का संरक्षण करना है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने देशभर में अल्पसंख्यक कारीगरों और पाक कला विशेषज्ञों को अपने बेहतरीन हस्तशिल्प और उत्कृष्ट रूप से तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए मंत्रालय द्वारा आयोजित ''हुनर हाट'' के माध्यम से प्रभावी प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए विकास के लिए परम्परागत कलाओं/शिल्पों में कौशल का उन्नयन और प्रशिक्षण (उस्ताद) योजना के तहत एक मिशन शुरू किया है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय ख्याति के संस्थान नामतः राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (एनआईडी) और भारतीय पैकेजिंग संस्थान (आईआईपी) को डिजाइन सहायता, उत्पाद रेंज विकास, पैकेजिंग, प्रदर्शनियों और ब्रांड बिल्डिंग आदि के लिए विभिन्न शिल्प समूहों में काम करने के लिए नियोजित किया है। अब तक दिल्ली, पुडुचेरी, मुंबई, प्रयागराज, जयपुर, अहमदाबाद, हैदराबाद, इंदौर, रांची, लखनऊ, रामपुर, मैसूरु और भोपाल में 27 हुनर हाट आयोजित किए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप, 5.5 लाख से अधिक कारीगरों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं, जिनमें से 50% से अधिक लाभार्थी महिलाएं हैं।

(iv) पीएमजेवीके के कवरेज में वृद्धिः सरकार ने पीएमजेवीके योजना के कवरेज को मई 2018 से तत्कालीन एमएसडीपी योजना के अधीन कवर किए गए 196 जिलों के 766 एमसीए से बढ़ाकर देश के 308 जिलों में आने वाले 1300 एमसीए में कर दिया है जिसमें 870 अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक, 321 अल्पसंख्यक बहुल नगर और 109 अल्पसंख्यक बहुल जिला मुख्यालय शामिल है।

अनुमोदित परियोजनाओं की किस्म और संख्या में आवासीय विद्यालय (171), डिग्री कॉलेज भवन (32), नए स्कूल भवन (1535), अतिरिक्त कक्षा कमरे (22908), एसीआर ब्लॉक (356), शिक्षण उपकरण और स्मार्ट क्लास (9999), छात्रावास (646), आईटीआई भवन (92), पॉलिटेक्निक (13), स्वास्थ्य केंद्र और

अन्य स्वास्थ्य परियोजनाएं (1946), यूनानी मेडिकल कॉलेज (01), कामकाजी महिला हॉस्टल (23), आंगनवाड़ी केंद्र (6014), सद्भाव मंडप (403), कॉमन सर्विस सेंटर (157), मार्केट शेड (574), हुनर हब (9), खेलकूद सुविधाएं (13) शामिल हैं।

2014–15 से पहले की और 2014–15 के बाद से विभिन्न योजनाओं के संबंध में उपलब्धि दर्शाते हुए एक तुलनात्मक विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

(ख): बजट में कोई राज्य–वार निधि आबंटन नहीं किया जाता है। पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018–19 से 2020–21 (28.02.2021 के अनुसार) के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत आबंटित निधियों और जारी/उपयोग की गई निधियों का योजना–वार विवरण **अनुबंध–II** में दिया गया है।

*****

अनुबंध–I

''अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं/नीतियां'' के बारे में श्री धर्मेन्द्र कश्यप द्वारा पूछे गए एवं 25.03.2021 को उत्तर के लिए निर्धारित लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *428 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के अधीन 2014–15 से पहले और 2014–15 के बाद की तुलनात्मक उपलब्धियां			
क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्धि	
		2014–15 से पहले	2014–15 के बाद
1.	शैक्षिक सशक्तीकरण (क्रम सं. 1–5 तथा 13(क) पर उल्लिखित योजनाएं)	3.03 करोड़ लाभार्थी	लगभग 4.50 करोड़ लाभार्थी
2.	रोजगार–उन्मुख कौशल विकास कार्यक्रम (क्रम सं. 6–8 तथा 13(ख) पर उल्लिखित योजनाएं)	20,164 लाभार्थी	6.89 लाख लाभार्थी
3.	स्व–रोजगार के लिए वित्तीय सहायता (क्रम सं. 14 पर उल्लिखित योजना)	6.94 लाख लाभार्थी	8.50 लाख लाभार्थी
4.	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)	बजट आवंटन 5341.78 करोड़ रु.	बजट आवंटन 8167.96 करोड़ रु.
		अनुमोदित बड़ी परियोजनाओं की संख्या 31329	अनुमोदित बड़ी परियोजनाओं की संख्या 44218
5.	हज मामले	2014 में हज कोटा 1,36,020 (सब्सिडी के साथ) महिला हाजियों को मेहरम (पुरूष साथी) के बिना हज पर जाने की अनुमति नहीं थी।	2019 में हज कोटा 2,00,000 (सब्सिडी के बिना) अब महिला हाजी हज 2018 से मेहरम (पुरूष साथी) के बिना हज पर जा सकती है। 2018 से 3401 महिलाओं ने मेहरम के बिना हज किया है।
6.	हुनर हाट	पारंपरिक कारीगरों/शिल्पकारों के लिए रोजगार अथवा रोजगार के अवसरों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं थी।	27 हुनर हाट आयोजित किए गए हैं और 5.5 लाख से अधिक कारीगरों और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान किए गए है।

अनुबंध–II

25.03.2021 को उत्तर के लिए निर्धारित लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या *428 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2018–19 से 2020–21 (28.02.2021 के अनुसार) तक बजट आवंटन और जारी/उपयोग की गई राशि का योजना–वार विवरण			
क्र. सं.	योजना	संशोधित अनुमान (रु. करोड़ में)	जारी/उपयोग की गई राशि (रु. करोड़ में)
1	मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति	3798.82	2714.01
2	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1517.60	915.17
3	मेरिट–सह–साधन	1163.51	652.54
4	मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति	383.00	256.35
5	विदेश में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता	92.00	69.40
6	निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं	139.00	67.95
7	प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए सहायता	26.00	15.41
8	कौशल विकास पहल	690.00	520.81
9	उस्ताद (हुनर हाट)	170.00	109.81
10	नई मंजिल (8वीं से 10वीं तक कौशल)	280.00	167.25
11	एनएमडीएफसी की इक्विटी	435.03	435.00
12	अल्पसंख्यक महिलाओं का नेतृत्व विकास	33.00	26.41
13	छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए योजना	12.00	11.31
14	हमारी धरोहर	14.20	5.27
15	अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन और प्रचार	130.00	84.51
16	प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम	3880.23	3720.91
17	मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान	293.76	110.00
18	एनएमडीएफसी का एससीए को अनुदान	5.00	3.93
19	कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीयाती योजना	35.89	23.79
20	शहरी वक्फ संपत्ति विकास योजना	9.32	7.51

* वर्ष 2020–21 हेतु छात्रवृत्ति योजनाओं तथा अन्य योजनाओं का संवितरण प्रगति पर है।